

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री अब्दुल रज्जाक पुत्र श्री अब्दुल जब्बार, लाखन कोटडी दरवाजा, दरगाह बाजार, अजमेर निवासी: जन्नत शाह रोड, मूमताज कॉलोनी, अन्दरकोट, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित:- श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 03.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग करते पाये जाने पर मौके से 02 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 02 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.-GAS	TYPE
1	24840	IOC	15.6kg	17.0kg	1.4kg	Domestic
2	2 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर	-	-	-	-	-

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। चूंकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरुपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 02 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रायान गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री अयूब खान पुत्र श्री कयूम खान, निवासी: फकीरखेडा, किशनपुरा रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 02 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.12.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर


Atelame

जिला कलक्टर
अजमेर

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 02 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उनके द्वारा जरिये जवाब भी प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन नहीं किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 01 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 02 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर